सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 16 फाल्गुन, 1943 (श०) / 07 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 07

(1)	सामान्य प्रशासन विभाग	.. ..	02
(2)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	.. ..	01
(3)	गृह विभाग	.. ..	01
(4)	वित्त विभाग	.. ..	03
		कुल योग --	07

किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण

'क'-15. श्री अख्तरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 11 जनवरी, 2022 के अंक में छपी खबर "कृषि क्षेत्र में लोन (Loan) देने से अब भी कतरा रहे हैं बैंक" शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में चालू वित्तीय वर्ष में 8.75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित है जिसके विरुद्ध मात्र 87.8 हजार ही नये किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण में शिथिलता के कारण राज्य के किसानों को सरकार के योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में लक्ष्य के अनुरूप किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण के लिये कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

क्रियान्वयन कराना

31. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा संचालित बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP) योजना का नाम प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम हुआ है, उसके अन्तर्गत राज्य के अल्पसंख्यक बहुल्य 75 प्रखंड, 12 नगर निकाय एवं 4 जिला मुख्यालय (सीमांचल) चयनित है ;

(2) क्या यह बात सही है पूर्वी चम्पारण जिला के ढाका प्रखंड एवं नगर परिवाद ढाका सहित सभी 5 प्रखंडों से कोई योजना का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद विभाग को नहीं भेजा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्वी चम्पारण जिले को उक्त कार्यक्रम की राशि से वंचित करने वाले पदाधिकारी को चिह्नित कर कार्रवाई करने तथा निर्धारित अवधि में प्रस्ताव जिला से प्राप्त कर योजनाओं का क्रियान्वयन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुरानी पेंशन योजना लागू करना

32. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 डुमरियागंज)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2005 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मियों हेतु नई अंशदायी पेंशन योजना लागू है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 2005 के बाद नियुक्त राज्यकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिभावान सरकारी सेवकों को नये और बेहतर सेवा में जाने हेतु

33. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ0जा0))--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 14 जनवरी, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "सरकारी कर्मी तीन बार ही दे सकते हैं, बी0पी0एस0सी0 की परीक्षा" के आलोक में क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सरकारी सेवक बी0पी0एस0सी0 एवं बी0एस0एस0सी0 की परीक्षा में केवल तीन बार ही शामिल हो सकते हैं जबकि सामान्य अभ्यर्थी के लिये कोई अधिकतम सीमा नहीं है ;

नोट--'क'-दिनांक 3 मार्च, 2022 को सदन द्वारा कृषि विभाग से वित्त विभाग में स्थानांतरित ।

(2) क्या यह बात सही है कि इस आदेश के पहले सरकारी सेवक जो अधिकतम उम्र की सीमा में छूट चाहते थे, केवल उनके लिये अधिकतम तीन बार शामिल होने का प्रावधान था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सरकारी सेवकों के लिये उक्त दोनों परीक्षा में शामिल होने के लिये अधिकतम तीन अवसर के बंधेज को समाप्त कर पूर्व की स्थिति को कायम रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रोटोकॉल उल्लंघन संबंधी कार्रवाई

34. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पदाधिकारियों का माननीय विधायकों के साथ लिखित एवं व्यवहारिक प्रोटोकॉल निर्धारित है, किन्तु विधायकों के पत्रों का जवाब देने के लिये समय का निर्धारण इस प्रोटोकॉल के दायरे में नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार निश्चित समय-सीमा के अंदर पदाधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यों के पत्रों का जवाब नहीं देने की स्थिति में यथोचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

35. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 1 फरवरी, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "तीन साल में बिहार को 39 हजार करोड़ कम मिले" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार को केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी में विगत 3 वर्षों से लगातार कटौती होने से राज्य में खर्चों का संतुलन बिगड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना में भारत सरकार से केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी में आम बजट के प्रावधानों से 39,618 करोड़ 64 लाख रुपये कम मिलने से राज्य की योजनाएँ दम तोड़ने लगी हैं तथा सरकार को अतिरिक्त कर्ज का सहारा लेना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य सरकार की केन्द्रीय करों से कम हिस्सेदारी लेने का क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना

36. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 डाका)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 62 थाना एवं 27 ओ0पी0 का पुलिस मुख्यालय को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, वही थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने वाली कम्पनी टी0ए0एस0एल0 को भी उक्त थाना/ओ0पी0 नहीं मिल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के लापता 99 थाना/ओ0पी0 में पूर्वी चम्पारण जिला के गढ़िया बाजार, जमुनिया जीतवा, कटकेनवा, रामपुर खजूरिया, नारायण चौक, लखौरा, पटना जिला के इमामगंज, मुसल्लहपुर, चित्रगुप्तनगर सहित 99 थाना/ओ0पी0 लापता सूची में शामिल है जिसे खोजने में राज्य पुलिस मुख्यालय असफल है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के लापता 99 थाना/ओ0पी0 का पता लगाने एवं क्रियाशील बनाने हेतु थाना भवन का निर्माण तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने के साथ ही गैर-जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना ;
दिनांक 7 मार्च, 2022 (ई0) ।

शैलेंद्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 91(एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550